स0नि0—सामान्य/जी0एस0टी0एन0/2017—18/ 82 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(सम्पत्ति अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक:: मई, 04 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय— जी0एस0टी0एन0 के गाइडलाइन्स के क्रम में Bandwidth upgradation हेतु Alternate connectivity संबंधी कार्यवाही कराये जाने के संबंध में।

प्रदेश में दिनांक 01.07.2017 से जी0एस0टी0 व्यवस्था लागू होना प्रस्तावित है। उक्त के क्रम में **GSTN** द्वारा प्रेषित गाइडलाइन्स के क्रम में विभागीय लोकेशन्स पर **Bandwidth upgradation** का कार्य त्वरित गति से होना नितान्त आवश्यक एवं अपरिहार्य है। उक्त के संबंध में कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 28.04.2017 को **"IT Preparedness as per GSTN guidelines"** के संबंध में आहूत बैठक में कई निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में यह निर्देश है कि ऐसी साइट्स जहाँ पर R.F. Tower लगाये जाने की अनुमति न मिलने/किराये आदि की समस्या उत्पन्न हो रही है, के संबंध में संबंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा समस्या का निराकरण कराकर Alternate connectivity संबंधी कार्यवाही करायी जायेगी जिससे दिनांक 31.05.2017 तक कार्य पूर्ण कराया जा सके।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्देशों के दृष्टिगत एयरटेल के स्थानीय प्रतिनिधियों एवं किराये के भवनों के भवन स्वामियों से त्वरित समन्वय स्थापित करते हुए समस्या का निराकरण कराकर Alternate connectivity संबंधी कार्य निर्धारित समयान्तर्गत सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

RNSW

(डॉ रवीन्द्र नाथ शुक्ल)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(सम्पत्ति) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।